सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

## पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 214/प्रा0पत्र/2021 दायरा दिनांक :–31.12.2021

GCMS ID–2021/195

उनवान

1. विजय बहादुर सिंह आ0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी सरसोद तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।
2. शोजी आ0 मोती जाति बैरवा निवासी सरसोद तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मोरपाल आ0 मोती जाति बैरवा निवासी सरसोद तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्रार्थीगण :– एक पक्षीय कार्यवाही

**आदेश** दिनांक : 22.05.2025

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खसरा संख्या 323 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 324 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 325/579 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 326 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 333 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा व खसरा संख्या 651/325 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम सरसोद पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है जो प्रार्थी व उसके भाईयों जसराज सिंह, प्रहलाद सिंह बहिनों सुरज बाई, भगवान बाई के नाम खाते दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि आने जाने का एक रास्ता भूमि खसरा संख्या 319 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में होकर जाता है उक्त रास्ता करीब 12 फिट चोडा है जो ग्रेवल सडक से खसरा संख्या 319 में होकर प्रार्थी के खेत में जता है खसरा संख्या 319 सरकारी भूमि है एवं उक्त रास्ता प्रार्थी का कंदीमी है जिसका उपयोग पीढीयों से किया जा रहा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने से सरकारी भूमियों में अतिक्रमण करने की मानसिकता से ग्रस्त लोगों से भविष्य में अडचन उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" व राजस्व नक्शे सलंग्न है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित कर राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमियों में आने जाने हेतु रास्ते का अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। भूमिया पर ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनने की अधिकारिता प्राप्त है। प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर0टी0एक्ट के

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तहत निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भूमि खसरा संख्या 319 में होकर प्रार्थी की भूमि तक आने जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे।

प्रकरण पूर्व में दिनांक 08.06.2018 को निर्णित किया जा चुका था पूर्व निर्णित प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील होने व अपील स्वीकार कर इस न्यायालय का पूर्व निर्णय अपास्त कर पुनः अपीलार्थी को पक्षकार बनाया जाकर सुने जाने का निर्णय पारित कर इस न्यायालय को पुनः प्रेषित करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं0 1 सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/773 दिनांक :–12.05.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 323 जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम सरसोद पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 319 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 319 में से 12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 323 वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सरसोद के राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 319(माल) में से कुल 12 फीट चौडे व 350 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0391 हैक्टेयर भूमि भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 880000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0391 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 34408/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 68816/रू को निर्धारित मद में प्रार्थी द्वारा जमा करवाकर चालान प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 22.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

22/05/2025

(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446